



MANSUKH
GROUP

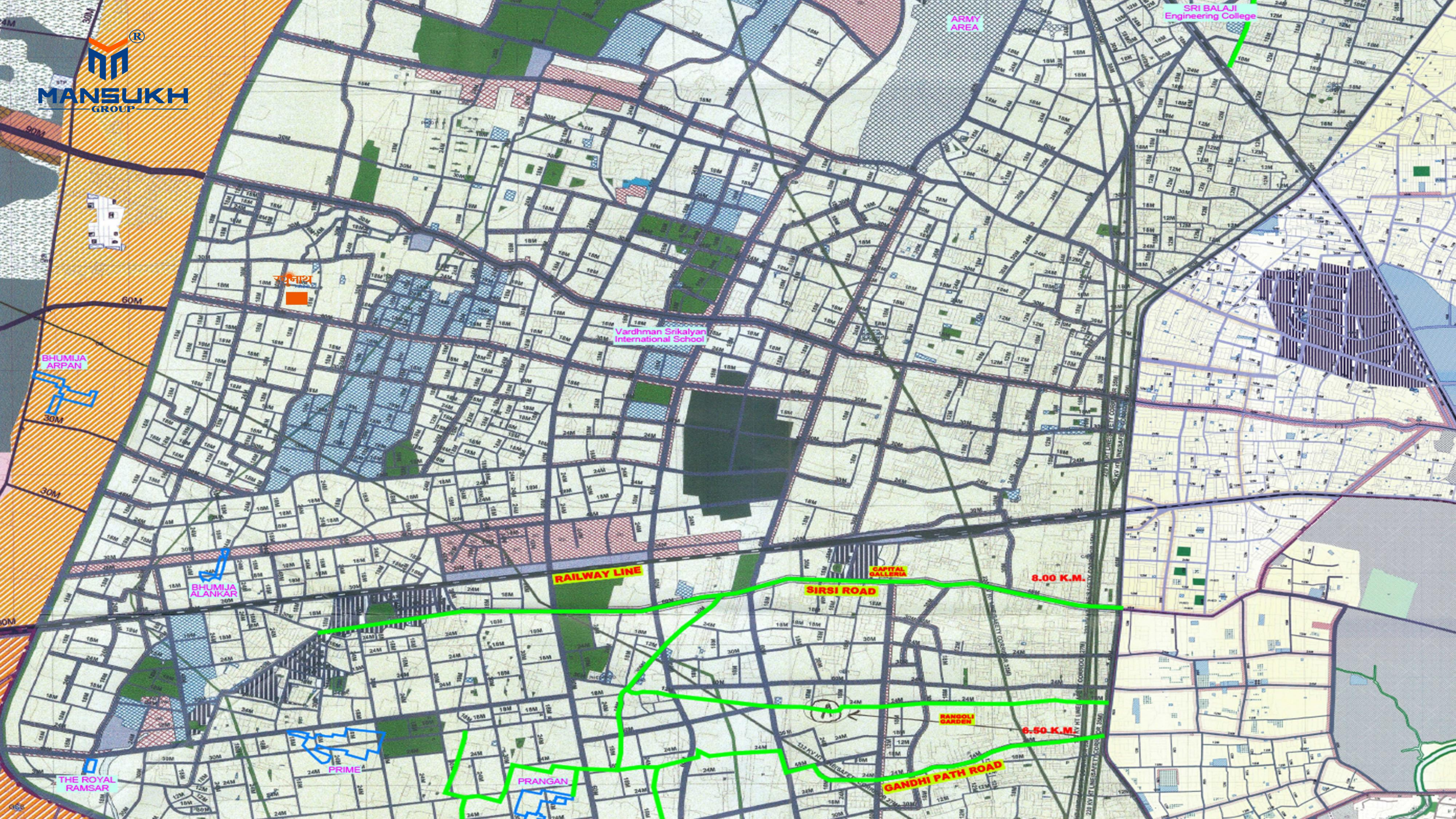
WELCOME TO
RAGHUNATH RESIDENCY



रघुनाथ

रेजीडेंसी





LAYOUT PLAN OF SCHEME- RAGHUNATH RESIDENCY

IN KHASRA NO. 1057/179 AT VILLAGE- MACHWA, TEHSIL- JAIPUR, DIST.- JAIPUR

कांटेस-1352833 रोजर- 02424

J.D.A.
1498
B
10.1.25

209/2

211

212

213

210

209

186

184

180

1056/179

179/2

VILLAGE- SABRAMPURA

VILLAGE- MACHWA

ZDP ROAD 18.0M WIDE

1057/179 ROAD 9.00M WIDE

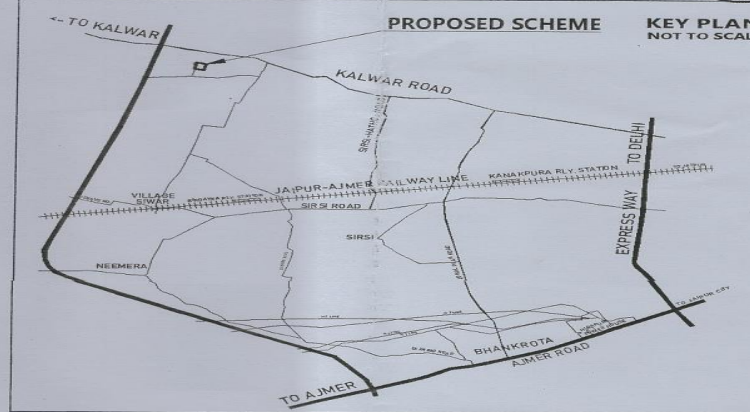
ROAD 10.00M WIDE

ROAD 10.00M WIDE

ROAD 9.00M WIDE

ROAD 9.00M WIDE

HPCL HIGH PRESSURE LINE CORRIDOR 18.0M WIDE OPEN



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
9. कुल आवासीय भूखण्ड = 27
2. सुवर्ण व्यवसायिक भूखण्ड = 1

Residential Scheme Area Analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mt.)	Percent	
1	Residential	2570.25	47.83 %	49.72 %
2	Retail comm.	101.71	01.89 %	
3	Park	200.00	03.73 %	
4	S.w.m.	50.00	00.93 %	50.28 %
5	telecom (tower)	10.00	00.19 %	
6	Gas line corridor (Green/Park)	692.00	12.88 %	
7	Road	1750.04	32.56 %	
Total area		5374.00	100.00 %	100.00 %

योजना की मौके जॉच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जौनल विकास योजना की सड़कों, भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जॉच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

डेडीकेटेड सलाहकार
फर्म का नाम एवम् हस्ताक्षर

Note:-

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अंशों द्वारा किया गया है

- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90% की कार्यवाही दिनांक 15.09.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में सशुभअधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण सहस्रीलदार द्वारा किया गया है।
- राजस्थान पोलिसी 2010 के अनुसार आंतरिक विकास के एवल में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 20, 21, 24, 27 कुल क्षेत्रफल 449.80 वर्गमीटर है, जो जॉचिया में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 369 वी बैठक दिनांक 08.10.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत प्राचीन है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवासीय वर्गित है।
- इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी (एलपी) द्वारा जारी सुओनोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार किया जावेगा।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैकस जॉचिया (जयपुर सौजन्य मयन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

साहायक अवर नियोजक
जोन-12

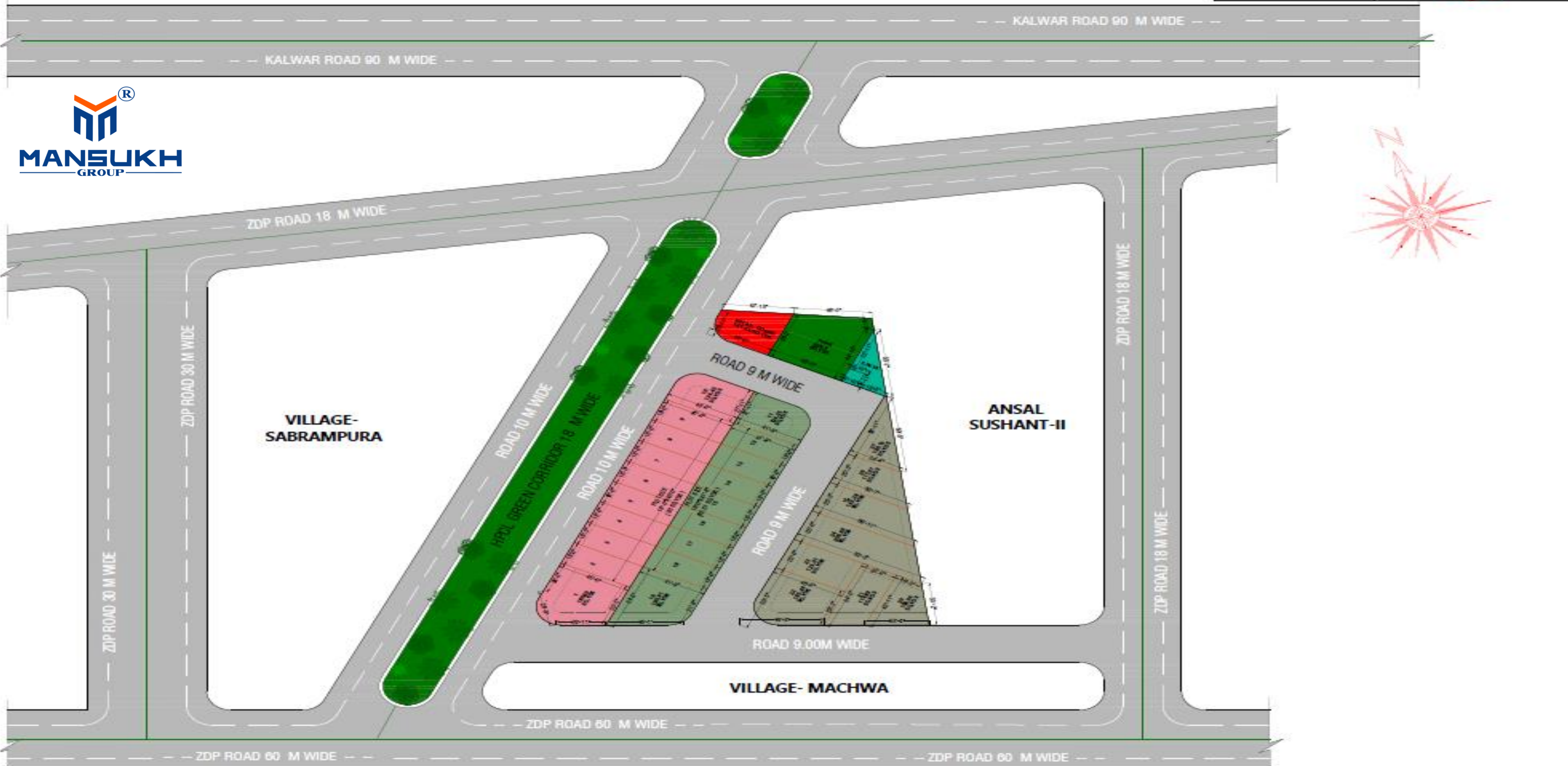
सहायक अवर नियोजक
जोन-12

सहायक अवर नियोजक
जोन-12



Sulabh Technical Services Pvt. Ltd.
B-85/A, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-15
9414066188, 9829147939
Email:- stsjpr15@gmail.com
website:- stsjpr15.com

NAME OF SOCIETY:-	NIJI KHATEDARI
NAME OF SCHEME:-	RAGHUNATH RESIDENCY
ZONE NO.- 12	SECTOR NO.- 70
SCALE:- 1:500 1 cm = 5 mtr.	DRG. NO.
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR	

























Thank You